<u>उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल</u>

<u>2011 की विशेष अपील सं. 7</u>

उत्तराखंड वन विकास निगम और एक अन्य ..... अपीलकर्ता

<u>बनाम</u>

सुरेश चंद्र औली ..... प्रतिवादी ।

<u>उपस्थित:</u> सुश्री सीमा साह, अपीलार्थियों की अधिवक्ता।
श्री अनिल कुमार जोशी, प्रतिवादी के वकील।

कोरमः माननीय तरुण अग्रवाल,
जे. माननीय प्रफुल्ल सी. पंत, जे.
माननीय सुधांशु धूलिया, जे.

<u>माननीय सुधांशु धूलिया, जे.</u>

1. अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता सुश्री सीमा साह और प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल कुमार जोशी को सुना गया।

2. इस विशेष अपील को इस न्यायालय की खण्ड पीठ के आदेश द्वारा इस पूर्ण पीठ को भेजा है, क्योंकि यह खण्ड पीठ का मत था कि 2003 की रिट याचिका (एस/एस) संख्या 88 में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश का दृष्टिकोण इस मुद्दे पर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के दृष्टिकोण के विपरीत है कि क्या एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के आश्रितों को यू. पी. के से अनुकंपा के पीठ पर नियुक्ति दी जा सकती है।

3. वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता सुरेश चंद्र औली (वर्तमान विशेष अपील में प्रतिवादी) ने इस अदालत के समक्ष इस अनुरोध के साथ एक रिट याचिका दायर की कि प्रतिवादी को उसे अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने का निर्देश जारी किया जाए क्योंकि उसके पिता वन विकास निगम में एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे और याचिकाकर्ता उसके आश्रित होने के नाते उक्त नियमों से अनुकंपा नियुक्ति का हकदार है।

इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को उस विवादित आदेश को रद्द करने की अनुमति दी, जिसके द्वारा संबंधित अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के

दावे को खारिज कर दिया है, और अधिकारियों को आदेश की प्रमाणित प्रति दाखिल करने के तीन महीने की अवधि के भीतर सरकारी कर्मचारी, मृत्यु नियम, 1974 से याचिकाकर्ता की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया।इस आदेश को वन विकास निगम द्वारा विशेष अपील में चुनौती दी गई थी और विशेष अपील में खण्ड पीठ ने पहले से ही ऊपर उल्लिखित कारणों के लिए मामले को वर्तमान पूर्ण पीठ को भेज दिया है।

4. एक नियम के रूप में सार्वजनिक नियुक्तियां "योग्यता" के आधार पर की जानी चाहिए।फिर भी, इस नियम के लिए कुछ अपवाद बनाए गए हैं, जैसे कि भारत के संविधान से दिए गए कुछ वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण।इस नियम में एक और अपवाद है जिसके बारे में हम वर्तमान में चिंतित हैं अर्थात "अनुकंपा के आधार" पर सार्वजनिक सेवा में की गई नियुक्ति।अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने का अंतर्निहित सिद्धान्त यह मात्र कि एक सरकारी कर्मचारी जिसकी नौकरी में मृत्यु हो गई मात्र, वह अपने पीछे एक परिवार छोड़ जाता मात्र जिसे अब अपने एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता।यदि मृतक कर्मचारी के आश्रितों में से किसी एक को "अनुकंपा के आधार" पर नियुक्ति दी जाती है, तो इसे कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है।

5. पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के साथ-साथ उत्तराखंड राज्य में उपरोक्त उद्देश्यों के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 से नियम बनाए गए हैं, जिन्हें "यू. पी. भर्ती ऑफ़ डिपेंडेंट्स ऑफ़ गवर्नमेंट सर्वेंट्स डाइंग इन हार्नेस रूल्स, 1974" के रूप में जाना जाता है।

वर्ष 2002 में इन नियमों को उत्तराखंड राज्य में अपनाया गया है।उक्त नियमों का नियम 5 जो वास्तव में मुख्य प्रावधान है, निम्नानुसार हैः

> "5. मृतक के परिवार के किसी सदस्य की भर्ती।- (1) यदि इन नियमों के लागू होने के पश्चात किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी में मृत्यु हो जाती है और मृतक सरकारी कर्मचारी का जीवनसाथी पहले से ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम में कार्यरत नहीं है, तो उसके परिवार का एक सदस्य जो पहले से ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम के से

कार्यरत नहीं है, उसे इस उद्देश्य के लिए आवेदन करने पर, सामान्य भर्ती नियमों में ढील देते हुए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दायरे में आने वाले पद को छोड़कर किसी पद पर सरकारी सेवा में उपयुक्त रोजगार दिया जाएगा।

व्यक्ति

(i) पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा करता है,

(ii) अन्यथा सरकारी सेवा के लिए योग्य है, और

(iii) सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से पाँच साल के भीतर रोजगार के लिए आवेदन करता हैः

बशर्ते कि जहां राज्य सरकार का समाधान हो कि रोजगार के लिए आवेदन करने के लिए निर्धारित समय-सीमा किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई का कारण बनती है, वह मामले से न्यायपूर्ण और न्यायसंगत तरीके से निपटने के लिए आवश्यकता को समाप्त या शिथिल कर सकती है।

(2) जहाँ तक संभव हो, ऐसी नौकरी उसी विभाग में दी जानी चाहिए जिसमें मृतक सरकारी कर्मचारी अपनी मृत्यु से पहले कार्यरत था।

[3) उपनियम (1) में प्रत्येक नियुक्ति इस शर्त से होनी चाहिए कि उपनियम (1) से नियुक्त व्यक्ति मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के उन अन्य सदस्यों का रखरखाव करेगा जो अपने स्वयं के भरण-पोषण के लिए असमर्थ हैं और उनकी मृत्यु से तुरंत पहले उपरोक्त मृत सरकारी कर्मचारी पर निर्भर थे।"

6. यहाँ दो परिभाषाएँ महत्वपूर्ण होंगी अर्थात (क) "परिवार" और (ख) "सरकारी कर्मचारी"।"परिवार" शब्द को उपयोग में मृत्यु नियमों के नियम 2 (सी) में परिभाषित किया गया है, जो नीचे दिया गया हैः

"2. परिभाषाएँ।इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो -

(ए). (बी)।

(ग) "परिवार" में मृतक सरकारी कर्मचारी के निम्नलिखित संबंध शामिल होंगेः

(i) पत्नी या पति; (ii) बेटे; (iii) अविवाहित और विधवा बेटियाँ।

7. सबसे महत्वपूर्ण और हमारे वर्तमान उद्देश्यों के लिए जो महत्वपूर्ण है वह "सरकारी कर्मचारी" की परिभाषा है।"सरकारी कर्मचारी" को उपयोग में मृत्यु नियमों के नियम 2 (ए) में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार हैः

"2. परिभाषाएँ।इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो

(क) "सरकारी कर्मचारी" से उत्तर प्रदेश के मामलों के संबंध में नियोजित एक सरकारी कर्मचारी अभिप्रेत है जो

(i) ऐसे रोजगार में स्थायी था; या

(ii) यद्यपि अस्थायी रूप से ऐसे रोजगार में नियमित रूप से नियुक्त किया गया था; या

(iii) हालांकि नियमित रूप से नियुक्त नहीं किया गया था, लेकिन इस तरह के रोजगार में नियमित रिक्ति में तीन साल की निरंतर सेवा दी थी।

8. इन नियमों के तहत सरकारी कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जा सकती है।अब हमें जो देखना है वह यह है कि इन नियमों से वास्तव में "सरकारी कर्मचारी" क्या है।

"सरकारी कर्मचारी" को परिभाषित करने में कोई कठिनाई नहीं है जहां वह ऐसे रोजगार में स्थायी था या हालांकि अस्थायी रूप से नियमित रूप से ऐसे रोजगार में नियुक्त किया गया था जिसमें नियम 2 (ए) (आई) और 2 (ए) (आई) से परिभाषा शामिल है।कठिनाई परिभाषा 2 (ए) (iii) (जिसके लिए मामला वर्तमान में संदर्भित किया गया है) से बनाई गई है।

9. नियम 2 (ए) (iii) निम्नानुसार हैः

"2. परिभाषाएँ।

(ए)।

(i)

(ii)..

(iii) हालांकि नियमित रूप से नियुक्त नहीं किया गया था, लेकिन इस तरह के रोजगार में नियमित रिक्ति में तीन साल की निरंतर सेवा दी थी।

10. यहाँ एकमात्र कठिनाई "इस तरह के रोजगार में नियमित रिक्ति में" वाक्यांश को परिभाषित करने में होगी विशेष रूप से "नियमित रिक्ति" शब्दों को।हालाँकि, इस पहलू का अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महाप्रबंधक, उत्तरांचल जल संस्थान बनाम लक्ष्मी देवी यद्यपि अन्य (2009) 7 एस. सी. सी., 205 में निपटारा किया गया है, जहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "नियमित रिक्ति" को एक रिक्ति के रूप में परिभाषित किया है जो "मौजूदा संवर्ग" में होती है।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्दिष्ट निर्णय में कहा कि "नियमित रिक्ति" वाक्यांश के कानूनी निहितार्थ का अर्थ होगा "एक रिक्ति जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पद में हुई थी।उक्त उद्देश्य के लिए जिस श्रेणी से यह पद संबंधित है, उसकी संवर्ग संख्या को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।एक नियमित रिक्ति है जो संवर्ग की संख्या के भीतर उत्पन्न होती है।

12. इसलिए, जो एक "नियमित रिक्ति" का गठन करता है, उसका अर्थ होगा एक रिक्ति जो सेवा के संवर्ग की संख्या में हुई है।

उक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा वही था जो इस न्यायालय के समक्ष है अर्थात क्या ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के आश्रित, जिन्होंने हालांकि लंबे वर्षों की सेवा की है, वे मृत्युपूर्व भुगतान नियमों से अनुकंपा नियुक्ति के हकदार हैं।माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस विषय पर संपूर्ण कानून पर चर्चा करने के पश्चात दिया गया उत्तर नकारात्मक था, और विशेष रूप से कर्नाटक राज्य की संविधान पीठ के फैसले बनाम उमादेवी (2006) 4 एस. सी. सी. 1, जिसमें संविधान पीठ ने कहा था कि "सार्वजनिक रोजगार में समानता का शासन हमारे संविधान की एक बुनियादी विशेषता है और चूंकि कानून का शासन हमारे संविधान का मूल है, इसलिए एक अदालत निश्चित रूप से अनुच्छेद 14 के उल्लंघन को बरकरार रखने वाले आदेश को पारित करने या संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ पठित अनुच्छेद 14 की आवश्यकताओं का पालन करने की आवश्यकता की अनदेखी करने का आदेश देने में अक्षम होगी।इसलिए, सार्वजनिक रोजगार की

योजना के अनुरूप, इस न्यायालय को कानून निर्धारित करते समय यह अभिनिर्धारित करना आवश्यक है कि जब तक नियुक्ति प्रासंगिक नियमों के संदर्भ में और योग्य व्यक्तियों के बीच उचित प्रतिस्पर्धा के पश्चात नहीं होती है, तब तक यह नियुक्ति करने वाले को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

13. उत्तरांचल जल संस्थान मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसलिए निर्णय दिया था कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी किसी पद पर काम नहीं करते हैं और वास्तव में एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमित रिक्ति पर काम नहीं कर सकता है।उपरोक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

> "19. यह एक सामान्य कानून है कि नियमित रिक्ति को भर्ती नियमों और समानता की संवैधानिक योजना के अनुपालन के अलावा नहीं भरा जा सकता है।नियम 2 (ए) से जुड़े स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, इस मामले के प्रयोजन के लिए, हम यह मानेंगे कि ऐसी नियमित नियुक्ति का सहारा लेना आवश्यक नहीं था।
>
> ऐसी स्थिति में खंड (क) के उपखंड (iii) और उसके साथ जोड़ा गया स्पष्टीकरण भी असंवैधानिक हो जाएगा।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के बाद 2010 (4) यू. पी. एल. बी. ई. सी. 2633 में पवन कुमार यादव बनाम यू. पी. राज्य और अन्य मामलों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने एक ऐसे मुद्दे पर निर्णय लिया, जो इस प्रकार हैः

> "1. क्या उत्तर प्रदेश के मामलों के संबंध में नियोजित एक दैनिक वेतन और कार्य प्रभार कर्मचारी, जो कोई भी पद धारण नहीं कर रहा है, चाहे वह मूल हो या अस्थायी, यू. पी. के नियम 2 (ए) के अर्थ के भीतर 'सरकारी कर्मचारी' है।

15. तीन न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने अपने समक्ष निर्दिष्ट उक्त प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दियाः

> "1. उत्तर प्रदेश के मामलों के संबंध में नियोजित एक दैनिक वेतनभोगी और कार्य प्रभार कर्मचारी, जो किसी भी पद पर नहीं है,

चाहे वह मूल हो या अस्थायी, और किसी भी नियमित रिक्ति में नियुक्त नहीं है, भले ही वह 3 साल से अधिक समय से कार्य कर रहा हो, उत्तर प्रदेश के नियम 2 (ए) के अर्थ के भीतर 'सरकारीकर्मचारी' नहीं है।

16. दूसरे शब्दों में, यह माना गया था कि एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी "सरकारी कर्मचारी" नहीं है जैसा कि डायिंग इन हार्नेस नियमों के परिभाषित किया गया है।

17. हमें यह समझना चाहिए कि यद्यपि उक्त नियमों के नियम 5 से किसी मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित की अनुकंपा से नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसे नियुक्ति दी जानी है, वह पहले "सरकारी कर्मचारी" का आश्रित होना चाहिए।स्पष्ट रूप से, एक दैनिक श्रेणी का कर्मचारी एक सरकारी कर्मचारी नहीं है जैसा कि उपयोग में मृत्यु नियमों से कल्पना की गई है, और विशेष रूप से नियम 2 (ए) (iii) के से।

इसलिए, वह डायिंग इन हार्नेस नियमों से रोजगार के लिए पात्र नहीं है।व्यापक सिद्धांत जिन पर उपयोग में मृत्यु नियमों के से नियुक्तियां की जा सकती हैं, उन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में दोहराया गया है।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) बनाम पुष्पेंद्र कुमार, (1998) 5 एस. सी. सी. 192 मामले में उक्त नियमों के उद्देश्य पर चर्चा की मात्र, जो मृतक कर्मचारी के परिवार को परिवार के एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु के कारण उत्पन्न अचानक संकट से उबरने में सक्षम बनाना था।यद्यपि नियुक्ति की ऐसी प्रकृति नियुक्ति के सामान्य नियम के लिए एक अपवाद है और एक अपवाद मुख्य प्रावधान को शामिल नहीं कर सकता है जिसके लिए यह एक अपवाद है और इसलिए मुख्य प्रावधान द्वारा प्रदत्त अधिकार को पूरी तरह से छीनकर मुख्य प्रावधान को रद्द कर देता है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> "इसलिए, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि अनुकंपा रोजगार देने का प्रावधान, जो सामान्य प्रावधानों के अपवाद की प्रकृति का है, अन्य व्यक्तियों के अधिकार में अनुचित रूप से हस्तक्षेप नहीं करता है जो नियुक्ति के लिए पात्र हैं, एक मृत कर्मचारी के आश्रित के अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को सक्षम

करने वाले प्रावधान के विरुद्ध।उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य मामले में इस न्यायालय ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रावधान करने वाले नियमों के अंतर्निहित उद्देश्य ध्यान दें दिया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि संबंधित सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति की जांच करनी होगी और यह मात्र तभी होगा जब यह संतुष्ट हो कि परिवार इस संकट का सामना करने में समर्थ नहीं होगा, लेकिन रोजगार के प्रावधान के लिए परिवार के योग्य सदस्य को नौकरी की पेशकश की जानी है।

19. एक अन्य मामले में, राष्ट्रीय पनबिजली निगम।बनाम नानक चंद (2004) 12 एस. सी. सी. 487, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में उपरोक्त निर्णय को दोहरायाः

पीठ ने कहा, "यह देखा जाना चाहिए कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं है, बल्कि योग्यता के आधार पर आवेदन के खुले निमंत्रण पर की जाने वाली नियुक्तियों के संबंध में मात्र एक अपवाद है।मूल उद्देश्य यह है कि संबंधित कर्मचारी की मृत्यु पर उसका परिवार आजीविका के साधनों से वंचित न रहे।इसका उद्देश्य परिवार को अचानक वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाना है।"(पैरा 5)

20. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने का उद्देश्य, जैसा कि हम पहले ही ऊपर देख चुके हैं, सामान्य नियम का एक अपवाद है।अपवाद यह कि परिवार अपने एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु के साथ अचानक आने वाली कठिनाई से उबरने में समर्थ हो सकता मात्र, एक ऐसा परिवार जो अब गरीबी में मात्र।यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य, (1994) 4 एस. सी. सी. 138 मामले में निम्नलिखित रूप में आगाह किया हैः

पीठ ने कहा, "अनुकंपा रोजगार एक उचित अवधि के पश्चात नहीं दिया जा सकता है जिसे नियमों में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।इस तरह के रोजगार के लिए विचार एक निहित अधिकार नहीं है जिसका उपयोग भविष्य में किसी भी समय किया जा सकता है।इसका उद्देश्य परिवार को

उस वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाना है जिसका सामना वह एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु के समय करता है, अनुकंपा वाले रोजगार का दावा नहीं किया जा सकता है और संकट समाप्त होने के पश्चात जो भी समय बीत जाए उसे पेश किया जा सकता है।

21. इसी स्थिति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगदीश प्रसाद बनाम बिहार राज्य, (1996) 1 एस. सी. सी. 301 मामले में फिर से दोहराया गया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

"मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति का उद्देश्य परिवार के कमाने वाले सदस्य की अचानक मृत्यु से परिवार को होने वाली अप्रत्याशित तत्काल कठिनाई और संकट को दूर करना है।"(पैरा 3)

22. एमएमटीसी लिमिटेड बनाम.प्रमोद देई, (1997) 11 एस. सी. सी. 390, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

"जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बताया गया है, अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के गरीब परिवार को अचानक वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाना है न कि रोजगार प्रदान करना, और यह कि केवल एक कर्मचारी की मृत्यु उसके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति का हकदार नहीं बनाती है।"(पैरा 4)

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस. मोहन बनाम टी. एन. सरकार, (1998) 9 एस. सी. सी. 485 मामले में फिर से उपरोक्त स्थिति को दोहराते हुए कहा हैः

"इसका उद्देश्य परिवार को उस वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाना है जिसका सामना वह एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु के समय करता है, अनुकंपा वाले रोजगार का दावा नहीं किया जा सकता है और संकट समाप्त होने के पश्चात जो भी समय बीत जाए, उसे पेश किया जा सकता है।"(पैरा 4)

24. संजय कुमार बनाम बिहार राज्य, (2000) 7 एस. सी. सी. 192 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार कहाः

"इस न्यायालय ने कई मामलों में कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार को अचानक संकट से उबरने में सक्षम बनाना है, जिसके परिणामस्वरूप रोटी कमाने वाले की मृत्यु

हो गई थी, जिसने परिवार को गरीबी में और आजीविका के किसी भी साधन के बिना छोड़ दिया था।"(पैरा 3)

25. पंजाब नेशनल बैंक बनाम अश्विनी कुमार तनेजा, (2004) 7 एस. सी. सी. 265 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः पीठ ने कहा, "यह देखा जाना चाहिए कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं है, बल्कि योग्यता के आधार पर आवेदन के खुले निमंत्रण पर की जा रही नियुक्ति के संबंध में मात्र एक अपवाद है।मूल उद्देश्य यह है कि संबंधित कर्मचारी की मृत्यु पर उसका परिवार आजीविका के साधनों से वंचित न रहे।इसका उद्देश्य परिवार को अचानक वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाना है।"(पैरा 4)

26. निस्संदेह, "अनुकंपापूर्ण नियुक्तियाँ" जैसा कि नाम से ही पता चलता है, "सहानुभूति" पर आधारित नियुक्तियाँ हैं।फिर भी, इसका मतलब किसी दिए गए आकस्मिकता में सहानुभूति होगी।

सहानुभूतिपूर्ण आधार पर ऐसी नियुक्तियाँ करते समय, न्यायालय इन तथ्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि जहां न्यायालय के समक्ष एक व्यक्ति है जिसे न्यायालय के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है, फिर भी कई अन्य हैं जो हालांकि अभी तक न्यायालय के समक्ष नहीं हैं, वे लंबी कतार में प्रतीक्षा कर रहे हैं, सार्वजनिक रोजगार की मांग कर रहे हैं और किसी एक के लिए अन्यायपूर्ण नियुक्ति का मतलब सैकड़ों अन्य लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करना होगा, जिन्हें याचिकाकर्ता की तुलना में अधिक कठिनाई हो सकती है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रामकृष्ण कामत और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (2003) 3 एस. सी. सी. 374 मामले में ठीक यही कहा है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हैः

"7. अदालत के समक्ष आने वाले व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति रखते हुए अदालतें एक ही समय में रोजगार की तलाश में लंबी कतार में लंबे समय तक प्रतीक्षा करने वाले बड़ी संख्या में योग्य व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति नहीं रख सकती हैं।"

27. इसलिए यह न्यायालय मानता है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के आश्रित "सरकारी कर्मचारी" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसा कि भुगतान नियमों की खंड 2 (ए) (iii) से परिभाषित किया गया है।इसलिए, वे नियमों से अनुकंपा के आधार पर रोजगार दिए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, भले ही ऐसे कर्मचारी ने अपनी मृत्यु से पहले कितने वर्षों तक सेवा की हो।

28. नतीजतन, विशेष अपील की अनुमति दी जाती है।विद्वान एकल न्यायाधीश का दिनांकित 6.9.2010 का आदेश इसके द्वारा अपास्त कर दिया जाता है।2006 की रिट याचिका (एस/एस) संख्या 778 भी विफल हो जाती है और इसके द्वारा खारिज कर दी जाती है।

29. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

(सुधांशु धूलिया, जे.) (प्रफुल्ल सी. पंत, जे.) (तरुण अग्रवाल, जे.)
21.12.2011

अवनीत /